उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्या: 8/2018/548/पैतीस-2-2018-3/39(8)/2018
लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 305/38-1-2010-54एल0सी0/2004, दिनांक 20 जनवरी, 2010 द्वारा श्री विजय शंकर, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी की ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर 02 वर्ष के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसके क्रम में नियोजन अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-410/पैतीस-2-2010-3/4(18)/08, दिनांक 22.03.2010 द्वारा श्री विजय शंकर को कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात श्री विजय शंकर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के पद दिनांक 26.05.2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया, तब से वह सेवा स्थानान्तरण के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी के पद पर ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/1/95-का-4-2003, दिनांक 26.05.2003 में सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत रहने की अधिकतम अवधि 05 वर्ष निर्धारित है। श्री विजय शंकर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर उक्त पद पर कार्य करते हुए 08 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, जो नियमानुसार निर्धारित अवधि 05 वर्ष से अधिक है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारियों के स्वीकृत 172 पद के सापेक्ष 101 पद भरे है तथा शेष पद रिक्त है। अर्थ एवं संख्याधिकारियों की भारी कमी के कारण प्रभाग के कार्य प्रभावित होने तथा श्री विजय शंकर की नियमानुसार सेवा स्थानान्तरण की अवधि पूर्ण होने के दृष्टिगत उन्हें ग्राम्य विकास विभाग में बनाये रखने का औचित्य नहीं है। अत: श्री विजय शंकर की ग्राम्य विकास विभाग में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें जनपद बलिया में अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 8/2018/548(1)/पैतीस-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें तथा उन्हें नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर अपनी योगदान आख्या शासन को 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।